


बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग  
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-14/एम 7-230/2009(अंश) 1316 पटना, दिनांक.....31/8/15 बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-22 की उपधारा (1)(ट) यथा अद्यतन संशोधित में वर्णित प्रावधान के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 15/एम व3-070/93 उ0शि0-1518 दिनांक 01.10.08 को अवक्रमित करते हुए मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के अभिषद (Syndicate) के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है:-

अभिषद (Syndicate) के सदस्य :-

- | क्र० | नाम एवं पता   |
|------|---|
| 1.   | श्रीमती असमत खातुन, बलिया, बेगुसराय                 |
| 2.   | श्री सैय्यद समायल अहमद, जमील कंपाउंड, समनपुरा, पटना |
2. मनोनीत सदस्यों की कालावधि (tenure) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(सुनील कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)---

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग


ज्ञाप संख्या:-14/एम 7-230/2009(अंश)--- 1316

पटना, दिनांक.....31/8/15

प्रतिलिपि :- सभी मनोनीत व्यक्तियों/संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर से अनुरोध है कि वे इसे विभागीय वेब साईट पर अपलोड कर दें।





संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग